# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2023
जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2023/151

| प्रार्थीगणः— | बनाम | अप्रार्थीगणः— |
|---|---|---|
| 1. भंवरलाल पुत्र गोकुलराम | | 1. सोनाराम पुत्र शेषाराम जाति भांबी निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली |
| 2. ओमप्रकाश पुत्र नथाराम, जातिगण मेघवाल निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली | | 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत। |

"अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांकः— 26/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति केम्प सरदार समंद द्वारा ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 263 रकबा 2.95 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1985 के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी जिसके गत खसरा नम्बर 404 थे, वक्त जागीरी से उक्त जमीन ग्राम धुरासनी के जागीरदारों के नामों की मकबूजा खुद थी तथा इसका क्षेत्रफल भी विस्तृत था जिसमें प्रार्थीगण के दादा तत्कालीन जागीरदारों के काश्तकार थे, जिसकी खसरा गिरदावरी में उदा पुत्र भीका व खरता पुत्र भीका के नाम से प्रविष्टि भी की हुई है। जैर आराजी पर प्रार्थीगण अपने दादा के समय से कब्जेकाश्त करते आ रहे है, प्रार्थीगण भूमिहीन है तथा भूमि आवंटन नियमों के तहत आवंटन करने से पहले प्रार्थीगण को आवंटन करना था अगर प्रार्थीगण आंवटन की पात्रता नहीं रखते तो उन्हे बेदखल करने के प्रश्चात ही उक्त आराजी का आवंटन पात्र व्यक्ति को करना था लेकिन जैर आराजी के आवंटन में ऐसा नहीं कर विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कर दिया। जैर आराजी के आवंटन से पूर्व न तो भूमि विहिन व्यक्तियों की सूची तैयार

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

की गयी, न ही आवंटित व्यक्तियों के आवेदन की कोई मांग की, न ही आवंटन के लिए कोई उद्घोषणा हुई और न ही आवंटन कमेटी में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य था। आवंटन के नियमानुसार आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष कब्जाकाश्त होना एवं दूसरे वर्ष पूरी जमीन पर काश्त करना आवश्यक था लेकिन जैर प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ और यदि अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा नहीं मिला होता तो नियम 15 के अनुसार उन्हे जिला कलक्टर, पाली के समक्ष कब्जा प्राप्त करने का आवेदन करना था, जो नहीं किया गया। जैर आराजी वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जेकाश्त में होने के बावजूद भूमि आवंटन/नियमन प्रावधानों की अवहेलना की जाकर अप्रार्थी को आवंटित की गई, जो विधिविरूद्ध होने से जैर आवंटन काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन वर्ष 1985 है तथा प्रार्थीगण द्वारा जैर प्रार्थना पत्र 38 वर्ष बाद पेश किया गया है जो म्याद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थीगण जैर आवंटन आदेश में प्रभावित पक्षकार नहीं होने से जैर प्रार्थना पेश करने का अधिकार ही नहीं रखते इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जैर आराजी पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही कभी काश्त की गयी तथा न ही उनके द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये है ऐसे में बेदखली का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। खसरा संख्या 404 में जो इन्द्राज हुआ था वो गलती से हो गया था, जिसे दुरन्त दुरूस्त कर दिया गया था। प्रार्थीगण झुठे तथ्यों के आधार पर आवंटन खारिज करवाने एवं उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने के नियत से प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है, आवंटन आदेश होने के पश्चात नियमानुसार आवंटी को विधिवत कंब्जा प्राप्त हुआ था एवं आवंटी के पक्ष मे जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों के तहत एवं विधिवत प्रावधानों अनुसार किया गया है ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुतत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवंटन कमेटी की सिफारीश पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 263 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 सोनाराम पुत्र शेषाराम के पक्ष में आंवटन की शर्तो को पुरा करने पर किया गया जिसके सन्दर्भ में सम्बधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड को ध्यान में रख कर किया गया है। जैर आवंटन आराजी कृषि भूमि है जिसकी किस्म बारानी द्वितीय है, एवं वर्तमान में आवंटी अनुसुचित जाति का होने से आवंटन किया गया है तथा वर्तमान मे आवंटी का ही जैर आराजी पर कब्जा काश्त है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी है, जिसे आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण एवं सरकारी पैराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति केम्प सरदार समंद द्वारा ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 263 रकबा 2.95 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1985 के विरूद्ध पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की आवंटन रेकर्ड के सम्बन्ध में सहमति से मूल आवंटन आदेश को अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवंटन आदेश की

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवंटी सोनाराम पुत्र शेषाराम जाति भांबी निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली ने एक प्रार्थना पत्र राज भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के तहत कृर्षि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करवाने बाबत पेश किया, जिसमें अप्रार्थी ने अपने स्वंय या संयुक्त परिवार की काश्त भूमि के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी एवं उसके परिवार के पास ग्राम धुरासनी में खसरा संख्या 208 रकबा 1.39 कृषि भूमि आयी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी के तथ्य छिपाते हुये दूषित तरीके से जैर आराजी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

रांज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 8(2) अनुसार आवंटन के लिये आवेदन–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन वाद–पत्र की तरह सत्यापित किया जायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्यापित किया जाना प्रतीत नहीं होता। साथ ही जैर आराजी के आवंटन के सम्बन्ध में, आंवटन कमेटी की सिफारिश के प्रपत्र में केवल मात्र तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरंपच के हस्ताक्षर है, जो कि राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 की पूर्णतया अवहेलना है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन कमेटी ने अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलावट करके दूषित प्रक्रिया अपनाते हुये जैर आवंटन आदेश पारित करवाये है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के तहत तहसीलदार प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक सिंचित एवं असिंचित दोनो प्रकार की सरकारी भूमियों की ग्रामवार सुची प्ररूप 1 मे तैयार कर सबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो पचांयत पंचायत समिति तथा तहसील के कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी लेकिन उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार सोजत द्वारा ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई तथा न ही निरीक्षणार्थ किसी कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। आवंटन नियम 1970 के नियम 7 में आंवटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी किया जाने बाबत प्रावधान है एवं नियम 6 में यथा उपदर्शित कार्यवाही करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी भूमिहीन कृषको से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए अधिनियम की धारा 61 में दी गई रिति से प्ररूप 2 में उद्घोषणा जारी करेगा। लेकिन जैर आवंटन आदेश के संबध में नियम 6 मे यथा उपदर्शित से संबधित कार्यवाही नहीं की, न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये और न ही प्ररूप 2 में कोई उद्घोषणा जारी की गई। आवंटन नियम 1970 के नियम 8 के अनुसार आवेदन पत्र प्ररूप 3 में प्रस्तुत किया जायेगा। आवदेक विवाहित कृषक हो तो आंवटन के लिये पति एवं पत्नी दोनो के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की प्रविष्टि आवेदन पत्रों के रजिस्टर प्ररूप 4 में नहीं की गयी है। नियम 10 के तहत उपखण्ड अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जांच करेगा लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है आवंटन कमेटी द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है।

अप्रार्थी सोनाराम को जो भूमि आवंटित की गई है वह आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के बिना की गई है जो नियम 13 का उल्लघंन है। नियम 14 मे आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटन के 3 वर्षो के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के साथ आवंटी गैर

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

खातेदारी काश्तकारी करेगा एवं उक्त कालावधि में आवंटी आवंटन शर्तो की पालना करने के पश्चात आवटीं खातेदार दर्ज होगा परन्तु आवंटी द्वारा नियम 14 की पालना नहीं की गयी। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 20.06.1998 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी पर आवंटी का सम्वत 2044 से 2046 तक कब्जा काश्त नहीं है, जो की आवंटन नियमों की शर्तो की अवहेलना की श्रेणी में आता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारीयों ने बिना मौका देखे, बिना कब्जे की जांच किये आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर अप्रार्थी के पक्ष में जैर आवंटन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 स्वीकार की जाती है। आवंटन सलाहकार समिति केम्प सरदार समंद द्वारा ग्राम धुरासनी के खसरा नम्बर 263 रकबा 2.95 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 सोनाराम पुत्र शेषाराम के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1985 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)